



2026:AHC:59492

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या
- 2371 सन 2026

मिथलेश कुमार वर्मा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता : राकेश कुमार वर्मा

विपक्षीगण के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार वर्मा, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री उमाशंकर मिश्र को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- प्रस्तुत आवेदन वाद अपराध संख्या 181 सन् 2025 में, बी.एन.एस. की धारा 303(1), 316(3), थाना-करीमुद्दीनपुर, जनपद- गाजीपुर से संबंधित है, जिसमें गिरफ्तारी की दशा में आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना करते हुए अग्रिम जमानत का निवेदन किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे इस मामले में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। यह भी निवेदित किया गया कि आवेदक और प्रथम सूचनादाता के बीच न्यायालय के बाहर समझौता हो चुका है। यह भी कहा गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक पर परिवहन के दौरान प्रथम सूचनादाता के माल के संबंध में आपराधिक न्यासभंग करने का आरोप है। आगे यह भी निवेदित किया गया कि सूचनादाता का ट्रक, जिससे उक्त माल का परिवहन किया जा रहा था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों ने उक्त ट्रक पर लदे माल की चोरी कर ली। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा अन्वेषण अभिकरण अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उपस्थित होगा। यह कहा गया कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, अन्वेषण में सहयोग करेगा तथा जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा।
- दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, ट्रक स्वामी होने के नाते आवेदक द्वारा प्रथम सूचनादाता के माल के परिवहन में उसे हानि पहुँचाई गई है। आगे यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक और प्रथम सूचनादाता के बीच न्यायालय के बाहर समझौता हो गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. यह उल्लेखनीय है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा महत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत पर निर्णय करते समय न्यायालय को आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से पलायन की संभावना तथा अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध समस्त सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए, और अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

7. वर्तमान प्रकरण में, अग्रिम जमानत से संबंधित विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदन, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण के समस्त संगत तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का एक उपयुक्त मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

9. उपर्युक्त वाद अपराध में गिरफ्तारी की दशा में, आवेदक- मिथलेश कुमार वर्मा को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार रु. 50,000/- के व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत किए जाने पर, निम्नलिखित शर्तों सहित अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा संबंधित न्यायालय द्वारा छूट प्रदान किए जाने के अतिरिक्त, नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, अभियोजन को आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त कराए जाने हेतु उपयुक्त प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

19 मार्च, 2026
रमा कान्त

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"